



## न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

वाद संख्या - ३२२/२०२५

धारा १६३ भा० ना० सु० सं०

नूरजहान खातून बनाम जुमराती मियां वगै.

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                     |
| 28/3/25                   | <p>अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी, भरकट्टा ओ०पी० के पत्रांक - ३६०, दिनांक- १८.०३.२०२५ के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक है।</p> <p>इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा १६३ भा० ना० सु० संहिता के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को ६० दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक ०४/४/२५ को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक ०४/४/२५ को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अनुमण्डल दण्डाधिकारी<br/>बगोदर-सरिया (गिरिडीह)</p> |                                                       |

| आदेश की क्र० सं०<br>और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                              | आदेश पर की गई<br>कारवाई के बारे में<br>टिप्पणी तारीख सहित |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                         |
| <u>06/4/25</u>               | अभिलेख उपस्थित। उमर 4 व 8 उपस्थित।<br>जीवासीन पदाधिकारी कार्य में उपस्थित।<br>अभिलेख दिनांक 12/4/25 को रखे।<br>                                                                          |                                                           |
| <u>12/4/25</u>               | प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित।<br>जीवासीन पदाधिकारी कार्य में उपस्थित।<br>द्वितीय पक्ष जीवासीन पदाधिकारी कार्य में उपस्थित।<br>अभिलेख दिनांक 13/4/25 को रखे।<br>              |                                                           |
| <u>19/4/25</u>               | प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित।<br>जीवासीन पदाधिकारी कार्य में उपस्थित।<br>अभिलेख दिनांक 02/5/25 को रखे।<br>                                                                 |                                                           |
| <u>02/5/25</u>               | उमर पक्ष उपस्थित। उमर पक्ष के<br>विज्ञान अधिवक्तागण को<br>सुना। अगली तिथि - 16/5/25<br>                                                                                                 |                                                           |
| <u>16/5/25</u>               | उमर पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा<br>वाद को 16/5/25 को 164 में परिवर्तित<br>करके का आग्रह किया गया।<br>उमर पक्ष के विज्ञान अधिवक्तागण<br>को सुना। अगली तिथि 23/5/25<br><br>16/5/25 |                                                           |



की क्र० सं०  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कारवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

23/05/25

उत्तम पशु उपस्थिति। उत्तम पशु के  
विज्ञान अधिवक्ता गण के दलीलों  
को सुना। उत्तम पशु के  
अधिवक्ता अपने एक हिस्से  
की 5.33 डी० ग्रामि को vacate  
कराने का आग्रह करते हैं।

21/05/25

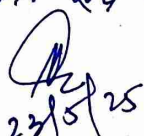
23/05/25

23/05/25 -

आदेश

प्रस्तुत वाद भू-विवाद से संबंधित  
है। भू-विवाद के कारण मारपीट की  
वजह से धाना में प्राथमिकी भी  
दर्ज हुई है। उक्त भू-विवाद में  
दफ्तल-कब्जे का तत्व अंतर्निहित  
है तथा वर्तमान में भी उत्तम  
पशु में तनाव व्याप्त है।  
भू-विवाद की प्रकृति का बेहतर  
विश्लेषण करना आवश्यक है  
जिसमें राजस्व संबंधी अन्य  
साक्ष्य के साथ-साथ मौखिक  
साक्ष्यों की भी आवश्यकता होगी  
अतः बेहतर विवेचन हेतु  
वाद को भा. ना. सु. संविदा  
की धारा 164 में परिणत  
किया जाता है।

(उक्त आदेश का नोटिस)

| क्र० सं०<br>और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आदेश पर की गई<br>कारवाई के बारे में<br>टिप्पणी तारीख सहित |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                         |
|                      | <p>आज पत्र को जांच के तब बाद<br/>को सुनवाई हेतु दिनांक 10/6/25<br/>को सूचीबद्ध करें।</p> <p>लेखापति एवं संशोधित</p> <p><br/>23/5/25<br/>SDM Bagodar<br/>Lariya Sub-division</p> <p><br/>23/5/25<br/>SDM<br/>B-S-<br/>Subdivision</p> |                                                           |